पत्रांकः– 6 / सू० प्रा०–04 / 2016.....

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक :.....

विषयः– विकसित बिहार के लिये सात निश्चय के तहत् सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–541 दिनांक–13.05.2016 के द्वारा पूर्व स्वीकृत योजना अन्तर्गत सरकारी अनाच्छादित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों एवं परियोजना के पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में।

[Inclusion of universities and colleges, that are uncovered or created during the 5 year of scheme Period, into the scheme sanctioned vide sanction order no.-541 dated-13.05.2016 for providing free internet services through wi-fi in all universities and coleges of Bihar under "Seven Resolution of developed Bihar"]

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम–2015–20 के अन्तर्गत विकसित बिहार के सात निश्चय के अधीन बिहार सरकार के सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क वाई–फाई के माध्यम से इन्टरनेट की सेवा उपलब्ध कराने हेतु योजना की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–541 दिनांक–13.05.2016 (अनुलग्नक–1) के द्वारा प्रदान की गयी थी। स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कुल–308 महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में यह सेवा प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। इस योजना का क्रियान्वयण स्टेट नोडल एजेन्सी, बेल्ट्रॉन के द्वारा किया जा रहा है।

2. प्रबन्ध निदेशक, बेल्ट्रॉन के पत्रांक–706 / 17 दिनांक–03.02.2017 के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त संस्थानों के अतिरिक्त भी राज्य सरकार के अधीन कुछ महाविद्यालयों एवं सृजित महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों का नाम छुटा हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1. Govt. Girls College, Gardanibagh, Patna	7. College of Teacher Education, Bhagalpur
2. Govt. Girls College, Guljarbagh, Patna	8. College of Teacher Education, Gaya
3. Womens Institute of Technology, Darbhanga	9. College of Teacher Education, Chhapra
4. Gopalganj College, Gopalganj	10. College of Teacher Education, S amastipur
5. College of Teacher Education, Muzaffarpur	11. Ganga Devi Womens College, Kankarbagh, Patna
6. College of Teacher Education, Saharsa	

उपरोक्त कॉलेजों के साथ ही साथ इस परियोजना के पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित किये जाने वाले महाविद्यालयों / संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में भी निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा प्रदान किया जाना श्रेयष्कर है।

3. इस योजना का सकारात्मक परिणाम यह होगा कि अधिकतम संख्या में राज्य के युवा इसका लाभ उठाकर इन्टरनेट के माध्यम से कुशल, रोजगारोन्मुख एवं स्वाबलंबी बन सकेगें।

4. सरकारी अनाच्छादित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु सम्प्रति अतिरिक्त राशि की स्वीकृति नहीं प्रदान करनी होगी क्योंकि राशि ₹ 2,20,50,00,000.00 (दो अरब बीस करोड़ पचास लाख) मात्र की स्वीकृत इस योजना के क्रियान्वयन में संभावित व्यय ₹ 1,99,00,00,000.00 (एक अरब निनान्वे करोड़) मात्र है।

5. वर्णित स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विकसित बिहार के लिये सात निश्चय के तहत् सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–541 दिनांक–13.05.2016 के द्वारा पूर्व स्वीकृत योजना अन्तर्गत सरकारी अनाच्छादित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों एवं परियोजना के पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया जाय।

क्रमशः ..... 2 / –

6. उक्त संकल्प को दिनांक–07.02.2017 को मद संख्या–39 के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :– *आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।*

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राहुल सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 6/सू० प्रा०–04/2016..... पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि : (अनुलग्नक–सी०डी० सहित) उप सचिव (ई–गजट) वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 6/सू० प्रा०–04/2016..... पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 6/सू० प्रा०–04/2016..... पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 6/सू० प्रा०–04/2016..... पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 6/सू० प्रा०–04/2016.245 पटना, दिनांक 13/02/2017

प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। आपको निदेश दिया जाता है कि इसे सूचना प्रावैधिकी विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

सरकार के सचिव